न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 08/प्रा.पत्र/2019 (GCMS No. 2019/00008)	01.01.2019	15.07.2024

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

मोती आ.नारायण कौम मीना नि.पाकलपुरिया(**मृतक** जर्ये कायम मुकाम)
1. बबलू वल्द दुर्गा नाबालिग संरक्षक माता फूलाबाई धर्मपत्नी दुर्गा,
2. फूलाबाई धर्मपत्नी दुर्गा कौम मीना निवासी ग्राम पाकलपुरिया
3. राजू आ. गोपाल कौम मीना निवासी ग्राम पाकलपुरिया
4. रमेश आ. गोपाल कौम मीना निवासी ग्राम पाकलपुरिया
5. फूलाबाई पुत्री गोपाल कौम मीना निवासी ग्राम पाकलपुरिया
6. सरस्वती पत्नी गोपाल कौम मीना निवासी ग्राम पाकलपुरिया
7. जगन्नाथ आ. मोती कौम मीना निवासी ग्राम पाकलपुरिया
8. औंकार आ. मोती कौम मीना निवासी ग्राम पाकलपुरिया
तहसील एवं जिला बून्दी (राज.)

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी मोती आ. नारायण कौम मीना निवासी पाकलपुरिया को किये गये भूमि आवंटन खसरा सं.44 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा वाकेग्राम पाकलपुरिया दिनांक 27.04.1960 को निरस्त किये जाने हेतु भूमि आवंटन नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। संलग्न नकल जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के अनुसार अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है।

जिला कलक्टर, बून्दी

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पंजिका क्रमांक 8/2019 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2019/00008 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किये गये। भू–प्रबंध विभाग खसरा परिशोधन पत्र संवत् 2020 जिला अभिलेखागार से तलब किया गया। बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 44 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा आवंटी मोती आ. नारायण कौम मीना निवासी पाकलपुरिया को दिनांक 27.04.1960 को आवंटन हुई थी। आवंटी के वारिसान अप्रार्थीगण वर्तमान में उक्त आराजी पर गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी के वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की किये जाने बाबत पेरोकार सरकार द्वारा अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे जाहिर आया कि भू–प्रबंध विभाग खसरा परिशोधन पत्र संवत् 2020 के अनुसार आवंटी मोती आ. नारायण कौम मीना निवासी पाकलपुरिया को दिनांक 27.04.1960 को भूमि खसरा सं. 44 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा वाकेग्राम पाकलपुरिया का आवंटन किया गया था। आवंटी को किया गया उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रकरण अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 14(4) यहां पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत 2073–2076 के अनुसार भूमि खसरा संख्या 44 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा पर आवंटी के वारिसान अप्रार्थीगण गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रकरण में तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र के बिन्दू 5 पर "आवंटी के वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है" अंकित किया है। कृषि प्रयोजनार्थ किये गये भूमि आवंटन के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी के वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है। आवंटी के वारिसान के उपस्थित न्यायालय नहीं आने से भी ऐसा प्रतीत होता है कि वे आवंटन में कोई रूचि नहीं रखते है, इससे भूमि आंवटन का उद्देश्य पूर्ण नहीं होने से आवंटन निरर्थक हो चुका है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी के वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त भूमि आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आवंटी मोती आ. नारायण कौम मीना निवासी पाकलपुरिया को मिसल संख्या 34 पर किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 44 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा वाकेग्राम पाकलपुरिया दिनांक 27.04.1960 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बून्दी को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 15.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी
जिला कलक्टर, बून्दी